भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1896

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

1896. श्री अरविंद धर्मापुरी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा वर्ष 2014-15 से अब तक तेलंगाना को वर्ष-वार कुल कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तेलंगाना में केवीआईसी द्वारा खादी संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और रोजगार सृजन की पहल सहित कार्यान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम और कार्यकलाप कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या तेलंगाना में हल्दी, खादी, शहद, कॅयर या ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजनाएं/कार्यक्रम या क्लस्टर विकसित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्य में केवीआईसी/बोर्ड द्वारा समर्थित योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए कारीगरों, बुनकरों और ग्रामीण उद्यमियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और(ख): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तेलंगाना राज्य सहित देश में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है:

I. खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई), नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के दो घटक यथा खादी विकास योजना (केवीवाई) और ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) हैं।

(i) खादी विकास योजना (केवीवाई): केवीवाई के घटक हैं- (i) संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए), (ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र स्कीम (आईएसईसी), (iii) खादी कारीगरों के लिए वर्क-शेड स्कीम, (iv) मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों के अवसंरचना को सुदृढ़ करना और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता, (v) खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके), (vi) विपणन (प्रदर्शनियां) और (vii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी)।

(ii) ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) : जीवीवाई के घटक हैं **(i)** कल्याण और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, **(ii)** हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग, **(iii)** कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, **(iv)** खनिज आधारित उद्योग, **(v)** ग्रामीण इंजीनियरिंग और नई प्रौद्योगिकी उद्योग, तथा **(vi)** सेवा उद्योग।

II. एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में भावी उद्यमियों की सहायता के लिए तेलंगाना सहित देश भर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रहा है।

III. पांच खादी संस्थान स्थापित किए गए हैं और वित्त वर्ष 2014-15 से 2024-25 के दौरान तेलंगाना राज्य में केवीआईसी द्वारा संवितरित कुल धनराशि का विवरण निम्नानुसार है::

(लाख रुपये में)

वर्ष	केजीवीवाई के अंतर्गत संवितरित धनराशि	पीएमईजीपी के अंतर्गत संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी	कुल
2014-15	1.43	1889.35	1890.78
2015-16	183.00	2217.57	2400.57
2016-17	168.02	2561.72	2729.74
2017-18	203.84	4030.21	4234.05
2018-19	92.48	7180.89	7273.37
2019-20	88.60	7118.89	7207.49
2020-21	193.11	6376.33	6569.44
2021-22	295.21	9846.14	10141.35
2022-23	264.02	10225.11	10489.13
2023-24(पी)	150.79	10811.78	10962.57
2024-25(पी)	114.04	8282.18	8396.22

(ग): एमएसएमई मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य में परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत 16 क्लस्टरों को मंजूरी दी है, जिसमें 3 कृषि, 7 बांस, 5 हस्तशिल्प और 1 कपड़ा क्लस्टर शामिल हैं।

(घ): अब तक, केवीआईसी समर्थित स्कीमों के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में, 5.90 लाख कारीगर, बुनकर और ग्रामीण उद्यमी लाभान्वित हुए हैं।

****